



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 14.02.2024

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी के 02 गाटर सहित किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.02.2024 को वादी श्री अंकित कुमार पुत्र स्व० श्री धर्मवीर सिंह निवासी मौ० ट्यूबैल कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी एवं क्षितिज कुमार पुत्र श्री छतरपाल सिंह निवासी मौ० मेडिकल कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने अभियुक्त



उस्मान पुत्र मोइन अहमद निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर के कैम्पस से दो गाटर चोरी करते हुए मौके से पकड लिया ।

तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 134/2024 धारा 379/411 भादवि बनाम उस्मान उपरोक्त पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 14.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त उस्मान पुत्र मोइन अहमद निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को चोरी गये 02 गाटर सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उस्मान पुत्र मोइन अहमद निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

02 गाटर

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु०अ०सं० 0944/2023 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

मु०अ०सं० 0134/2024 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 14.02.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 18/2024 धारा 363/366/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.01.2024 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्त देवेन्द्र शर्मा उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है । तहरीर की आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 18/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया । अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 366/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई । स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 10.02.2024 को अपहृता को बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया ।



### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 18/2024 धारा 363/366/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र पप्पू शर्मा निवासी हरपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता :-

देवेन्द्र पुत्र पप्पू शर्मा निवासी हरपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड

दिनांक – 14.02.2024

**थाना रेहड पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय, परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध कच्ची शराब की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस ने अभियुक्त भूदेव पुत्र सीताराम निवासी ग्राम जाफ्तानगर थाना रेहड जनपद बिजनौर को एक जरीकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 22/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम भूदेव उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

भूदेव पुत्र सीताराम निवासी ग्राम जाफ्तानगर थाना रेहड जनपद बिजनौर

### बरामदगी –

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.कां0 285 प्रदीप कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2427 योगेश दत्त थाना रेहड जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 14.02.2024

**जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	नगीना	नरेंद्र कुमार पुत्र श्री रमेश चंद्र निवासी मौ० अंबेडकर नगर कस्बा नगीना ।
2.	अफजलगढ	गेंदा सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम चतरपुर कस्बा व थाना अफजलगढ .
3.	अफजलगढ	शाहिद पुत्र अ० रहीम निवासी सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ ।
4.	अफजलगढ	मनीष कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम जटपुरा ।
5.	बढापुर	राजवीर पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम किशनपुर कुण्डा ।
6.	बढापुर	मनोच पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम किशनपुर कुण्डा ।
7.	बढापुर	रूपचन्द पुत्र लटूर निवासी ग्राम किशनपुर कुण्डा ।
8.	मण्डावर	अरूण पुत्र दौलतसिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर ।



थाना नगीना



थाना अफजलगढ



थाना बदायुन



थाना मण्डावर



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट:- थाना मण्डावर**

**दिनांक 14.02.2024**

**थाना मण्डावर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।**

### **कार्यवाही :-**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा चेकिंग को दौरान हिस्ट्रीशीटर विकास उर्फ भोला पुत्र प्रीतम निवासी कांशीराम कॉलोनी आवास विकास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना को० शहर पर मु०अ०सं० 52/2024 धारा



4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । अभियुक्त विकास उपरोक्त थाना कोतवाली शहर का एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसकी हिस्ट्रीशीट सं० 267ए है तथा इसके विरुद्ध थाना को० शहर पर एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-**

विकास उर्फ भोला पुत्र प्रीतम निवासी कांशीराम कॉलोनी आवास विकास थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।

### **बरामदगी विवरण:-**

एक अवैध चाकू ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास उर्फ भोला उपरोक्त:-**

1. मु०अ०सं० 403/16 धारा 379/411 भादवि थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।
2. मु०अ०सं० 114/17 धारा 399/402 भादवि थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।
3. मु०अ०सं० 116/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।
4. मु०अ०सं० 1107/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।
5. मु०अ०सं० 568/19 धारा 397/401 भादवि थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।
6. मु०अ०सं० 947/19 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।
7. मु०अ०सं० 1012/19 धारा 379/34 भादवि थाना को० शहर जनपद बिजनौर ।

8. मु0अ0सं0 1033/19 धारा 379/411/34 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 264/20 धारा 272 भादवि व 60(1) आबकारी अधि0 थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 136/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 07/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
12. मु0अ0सं0 37/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
13. मु0अ0सं0 108/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
14. मु0अ0सं0 52/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1. हे0का0 401 दीपक राणा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 617 कुशलपाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।